कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता जिला – नागौर

निविदा सूचना

क्रमांक : लेखा / 2018–19 / 02 दिनांक : 09-07-2018

इस न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों के लिये प्रतिष्ठित ब्रॉण्ड के कुलर (अनुमानित लागत 1,20,000 / –रूपये) हेतु अधिकृत निर्माताओं / डीलरों / विक्रेताओं से मोहरबंद लिफाफे में सीमित निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में लेखा शाखा में कैशियर से निर्धारित शुल्क देकन प्राप्त किये जा सकते हैं।

क्र.सं.	नाम आईटम मय विवरण	मात्रा एवं स्थान
1.	wooden body cooler with roller stand copper wire motor with following specification • Powerful motor of 220 watt or more . • Odour free Wood wool cooling media. • 3 pin plug with extra length power cord. • One year warranty for motor. • Size : 63.5cm x71.1cmx101.6cm or near by. • Capacity: 50 liters and above. maximum budget for cooler rs. 120000/-	1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता – 10 2.सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना – 2 3.ग्राम न्यायालय, जायल – 3

निविदा प्रपत्र मूल्य 200 / – रूपयें एवं बयाना राशि 2 प्रतिशत होगी। निविदाएं दिनांक 10.07.2018 से दिनांक 17.07.2018 प्रातः 10.00 बजे तक बेची जाकर दिनांक 17.07.2018 को दोपहर 11.00 तक प्राप्त की जायेंगी तथा प्राप्त निविदायें दिनांक 17.07.2018 को ही दोपहर 12. 30 बजे उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में खोली जायेंगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाईट http://ecourts.gov.in/nagaur तथा http://SPPP.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकेंगी। वेबसाईट से फार्म लेने की दशा में फार्म जमा कराते समय उसमें निविदा प्रपत्र मूल्य 200 / – रूपये व बयाना राशि का डीडी अवश्य लगावें अन्यथा निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

अध्यक्ष (क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मेड़ता, जिला – नागौर

क्रमांक : लेखा / 2018–19 / 449 दिनांक : 09.7.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता
2. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, मेड़ता जिला – नागौर
3. सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को विभाग की वैबसाईट http://ecourts.gov.in/nagaur तथा http://SPP.rajasthan.gov.in पर अपलोड़ करने हेतु।
4. फर्म ....

अध्यक्ष (क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मेड़ता, जिला – नागौर

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता जिला – नागौर

निविदा का प्रारूप

निविदा पत्र शुल्क रूपये 200/–

(वापसी योग्य नहीं)

1. नाम एवं पता निविदाकार फर्म/संस्थान : ————————————————
2. फोन नंबर/मोबाईल नंबर : ————————————————
3. निविदा का नाम० : डेजर्ट कुलर
4. निविदा का अनुमानित लागत : 120000/–
5. अमानत राशि : 2400/–
6. निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि : 10.07.2018 से 17.07.2018 तक प्रातः 10.00 बजे तक
7. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 17.06.2018 को प्रातः 11.00 तक
8. निविदा खोलने की तिथि : 17.06.2018 को दोपहर 12.30 बजे
9. आयकर पैन नंबर/टेन नंबर क्लीयेरेंस सर्टिफिकेट : ————————————————
10. अमानत राशि का विवरण : डीडी नंबर——— दिनांक ———

राशि रूपये————————————

बैंक का नाम————————————

अध्यक्ष (क्रय समिति)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मेड़ता, जिला – नागौर

क्र.सं.	कुलर के ब्रान्ड का नाम, मॉडल नं. व आईटम मय विवरण	एफ.ओ.आर. दर प्रति कुलर (समस्त कर सहित)
1.		

हस्ताक्षर फर्म /मालिक का नाम

निविदा के प्रतिबंध व शर्तें

निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखकर इन शर्तों के पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटावें।

1. निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय तक कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में कैशियर से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की शर्तें भी कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में देखी जा सकती है।
2. निविदायें पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद लिफाफे में भेजी जानी हैं। लिफाफे पर ''कुलर के लिये निविदा'' स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिये।
   निविदाकर्ता निविदा के सभी पृष्ठों पर मोहर सहित हस्ताक्षर करेंगे।
3. निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्राप्त निविदायें दिनांक 17.07.2018 को दोपहर 12.30 बजे इच्छुक उपस्थित निविदादाताओं /प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जावेगी।
5. **निविदादाता को निविदा प्रपत्र के अनुरूप दो प्रतिशत राशि बैंकर्स चैक, जो कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता (Payable at Merta branch)के नाम से देय हो, के रूप में अमानत राशि हेतु निविदा के साथ संलग्न करना होगा।**
6. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापिस लेता है या रूपान्तरण करता है या विहित करार निष्पादित नहीं करता है या निविदा स्वीकार करने के बाद या आदेशित सामग्री की आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. यदि कोई निविदा प्रपत्र बिना धरोहर राशि के अथवा निर्धारित अमानत राशि से कम का पाया जाता है तो उसे बिना कारण बताये जाने अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
8. सभी असफल निविदाताओं को उनके द्वारा जमा अमानत राशि निविदा के सफल निस्तारण के पश्चात लौटा दी जावेगी तथा इसके लिये किसी प्रकार का ब्याज इत्यादि देय नहीं होगा।
9. सशर्त, अपूर्ण, भ्रामक अथवा गलत तथ्य/दावे प्रस्तुत करने वाली, अल्प वैधता वाली निविदायें स्वीकार्य नहीं होगी।
10. **निविदा प्रपत्र में दरें शब्दों व अंको दोनों में बिना काट–छांट स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए। काट–छांट होने पपर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें स्पष्ट रूप से लिखनी होगी तथा दरें गन्तव्य स्थान – मेड़ता मुख्यालय तक F.O.R Quote की जानी चाहिये तथा सभी कर एवं लागतें मय Handling Charges समाहित होनी चाहिये।**
11. निविदा प्रपत्र के साथ आयकर चुकता प्रमाण–पत्र, पैन सं, बिक्री कर पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।
12. निविदादाता को निर्माता/अधिकृत विक्रेता/डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
13. **सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्ति के पश्चात् 05 दिवस के भीतर नियमानुसार निर्धारित राशि 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंद्ध प्रस्तुत करना होगा।**
14. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही संपादित करेगा। निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों के मद की सप्लाई का अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा/सबलैट नही करेगा।
15. क्रय समिति को कार्य की प्रकृति/निविदा वस्तुओं की गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा। क्रय समिति सभी निविदादाताओं को एक साथ वार्तालाप/नेगोसिएशन के लिये बुलाने के लिये स्वतंत्र होगी।

16. निविदा में मांगी गयी सामग्री का पूर्ण विवरण (मैक, ब्रॉण्ड, स्पेसिफिकेशन आदि) देना होगा।
17. निविदादाता को कम से कम 1 वर्ष की गारंटी मोटर हेतु देनी होगी।एक वर्ष से पहले मोटर मे कोई खराबी आने पर अपुर्तिकर्ता को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के त्रुटि सुधार कर/बदल कर देनी होगी।
18. यदि माल की आपूर्ति क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी निविदा/संविदा किसी भी समय निरस्त कर सकता है।
19. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टिकरण करना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
20. क्रय आदेश जारी किये जाने के बाद माल की आपूर्ति निर्धारित समयावधि में की जानी होगी। माल की सप्लाई आदेशानुसार या समय पर नहीं होने पर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं कार्यालय को होने वाली वित्तीय क्षति का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा।
21. **संबंधित फर्म को सामग्री की आपूर्ति कार्यालय आदेश प्राप्ति के दस दिवस के भीतर संपूर्ण करनी होगी।** निविदा में वर्णित दरों के संबंध में बाजार में किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि होती है तो इसकी जिम्मेवारी संबंधित फर्म की होगी।
22. यदि क्रेता अधिकारी निविदत्त सामग्री की खरीद नहीं करता है या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम क्रय करता है तो निविदादाता किसी प्रकार क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। क्रय समिति विज्ञप्ति में दी गयी मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि करते हुए क्रय कर सकती है।
23. क्रेता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।
24. **क्रयादेश की निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदान नहीं करने पर शास्ति (लिक्विडिटी डैमेज निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी –**
    - **A. विदित सुपूर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि के विलम्ब के लिये क्रयादेश की राशि का 2.5 %**
    - **B. विदित सुपूर्दगी अवधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का 5%**
    - **C. विदित सुपूर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु 3/4 अवधि 7%**
    - **D. विदित सुपूर्दगी अवधि की 3/4 से अधिक 10%**
    - **E. विदित सुपूर्दगी अवधि का तीन चौर्था से अधिक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का दस प्रतिशत।**
25. सामग्री प्रदान में विलम्ब की अवधि की गणना के लिये आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा एवं शस्ति की अधिकतम राशि दस प्रतिशत होगी।
26. सप्लाई की गयी सामग्री निर्धारित मानक/निर्देशों के अनुसार नहीं होने की स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के त्रुटि सुधार कर/बदल कर देनी होगी अथवा उसका लागत मूल्य कार्यालय में जमा करवाना होगा। इसके अलावा कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।
27. आपूतिकर्ता फर्म को सप्लाई किये जा रहे सामान का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
28. किसी भी विवाद की स्थिति मे क्रय समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

29. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो राजस्थान सरकार के General Financial and Accounts Rules एवं Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 के प्रावधान यथा स्थान लागू होंगे।

हम जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता जिला – नागौर द्वारा चाही गयी सामग्री हमारे द्वारा दी गई दरों के आधाार पर सामग्री की आपूर्ति दिये जाने हेतु सहमत है।

हम जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता जिला – नागौर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या............... दिनांक............... में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

हस्ताक्षर फर्म मालिक / पार्टनर
मय सील
वास्ते
फर्म का नाम व पता, फर्म का स्टाम्प